UPPG010001132005

न्यायालय अपर जिला जज/एफ.टी.सी.1 प्रतापगढ़।

सिविल अपील सं0–42/2005 मिनहाज बनाम मकबूल हुसैन आदि।

12-10-2021

पुकार कराई गयी पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली आज प्रार्थनापत्र 40क निस्तारण हेतु नियत है। विपक्षीगण को आपत्ति दाखिल करने हेतु अवसर प्रदान किये गये, किंतु उनके द्वारा कोई आपत्ति पत्र दाखिल नहीं किया गया। अतः प्रतिवादी अवसर समाप्त करते हुये तदनुसार प्रार्थना पत्र 40क निस्तारित किया जाता है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

निस्तारण प्रार्थनापत्र 40क

प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 व आदेश 6 नियम 17 जा० दी० वाद पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि उपरोक्त अपील में अपीलाण्ट मिनहाज का देहान्त दिनांक-18.02.2020 को हो गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक-16.03.2020 को दिया गया है। मृतक के विधिक कायम मुकामान उसके पुत्रगण 1/1 बरकत अली आयु 52 साल, 1/2 रहमत उल्ला आयु 49 साल, 1/3 मो० इरशाद आयु 42 साल, व ¼ गुलजार अली आयु 38 साल व पुत्रीगण 1/5 सुबुसुन निशा आयु 45 साल, 1/6 नजमा बेगम आयु 40 साल व 1/7 महरूम निशा आयु 75 साल विधवा मिनहाज हैं। इस के अतिरिक्त कोई अन्य विधिक कायम मुकामान नहीं है। यही मृतक की कुल जायदाद पर काबिज व दखील हैं। प्रार्थना पत्र कायम मुकामी स्वीकार करते हुए मृतक के विधिक कायम मुकाम उपरोक्त को उनके स्थान पर कायम मुकाम किया जाये और मेमो अपील में निम्न संशोधन की आज्ञा प्रदान की जाये। मेमो अपील की सेगा अपीलाण्ट में मृतक मिनहाज के नाम के सामने " मृतक दौरान अपील" लिखा जाये और अन्य विधिक कायमुकान को अपीलार्थी के स्थान पर कायम मुकाम लिखा जाये।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 40क शपथ पत्र 41ग व वकालतनामा से समर्थित है तथा मियाद अन्दर है।

उक्त संशोधन परिणामिक प्रकृति का है व स्वीकार करने में कोई वैधानिक बाधा नहीं प्रतीत होती है। अतः उक्त संशोधन न्यायहित में स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 40क अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व आदेश 6 नियम 17 जा०दी० स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी प्रस्तावित संशोधन अंदर सप्ताह करे। पत्रावली दिनांक 02-11-2021 को अतिरिक्त सुनवाई हेतु पेश हो।

A.K.

अपर जिला जज/एफ०टी०सी०-1
प्रतापगढ़।